छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया–रायपुर

कमांक एफ 10–01/खाद्य/2016/29–2 /4076 नया रायपुर दिनांक 16/09/2016

प्रति,

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
6. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, नया रायपुर ।
7. राज्य स्तरीय समन्वयक, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रायपुर ।
8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।

विषय : **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत ।**

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के समुचित कियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :– यथोपरि।

(ए.के.सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

पृ.कमांक एफ 10–01/खाद्य/2016/29–2/4077 नया रायपुर दिनांक 16/09/2016

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. टेक्नीकल डायरेक्टर, एन.आई.सी. मंत्रालय, नया रायपुर की ओर खाद्य विभाग की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।

की ओर मार्गदर्शी सिद्धांत की प्रति के साथ सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

संचालनालय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
इन्द्रावती भवन, रायपुर (छ.ग.)
20 SEP 2016
कक्ष: खाद्य
संचालक

PMUY
21/9
JD/M

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के राज्य घटक के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

1. योजना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हेतु जारी मार्गदर्शी सिद्धांत (परिशिष्ट-1) के खण्ड 6 में उल्लेख अनुसार राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों के लिए निर्धारित गुणवत्ता का डबल बर्नर गैस स्टोव (परिशिष्ट-2) तथा प्रथम रिफिल सिलेण्डर के मूल्य अनुदान हेतु सहभागी होगी।

2. राज्य सहभागिता का स्वरूप

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के हितग्राहियों को डबल बर्नर गैस स्टोव तथा प्रथम रिफिल सिलेण्डर का मूल्य मात्र 200/- रूपये भुगतान करना होगा। योजना के अंतर्गत जारी कनेक्शन हेतु शेष राशि, जिसमे डबल बर्नर गैस स्टोव का मूल्य (990/- रूपये प्रति स्टोव) तथा 14.2 किलोग्राम वजन का पहला रिफिल गैस सेलेण्डर का मूल्य (जो कि परिवर्तनीय है) शामिल है, राज्य शासन द्वारा ऑयल कंपनियो को भुगतान किया जावेगा ।

3. पात्रता

योजना के राज्य घटक के लिए हितग्राहियों की पात्रता की शर्ते वही होंगी जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना के लिए नियत की गयीं हैं । पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एनआईसी मुख्यालय के सहयोग से) द्वारा छत्तीसगढ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एसईसीसी - 2011 के डेटाबेस में मंत्रालय द्वारा निर्धारित वंचक (Deprivation) मानदंड के आधार पर सूची तैयार की गयी है। ऐसी वयस्क महिला, जिनके नाम इस एसईसीसी - 2011 सूची में शामिल है और जिनके परिवार में गैस कनेक्शन नहीं है, वे इस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पात्र है। ऐसी हितग्राही, छत्तीसगढ़ राज्य में पैरा 2 में उल्लेख अनुसार अनुदानित दर पर डबल बर्नर गैस चूल्हा तथा प्रथम रिफिल प्राप्त करने हेतु पात्र होगी । गैस कनेक्शन केवल बीपीएल परिवार की महिला के नाम पर जारी होगा। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्ग के परिवारो की महिला तथा ऐसे जिले जहां एलपीजी का कवरेज कम है, को प्राथमिकता दी जावेगी।

4. **भौतिक लक्ष्य-**

वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग 10 लाख कनेक्शन तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 15 लाख कनेक्शन जारी किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जिलेवार अनुमानित लक्ष्य परिशिष्ट-3 अनुसार है। जिलेवार लक्ष्य के निर्धारण का आधार - 1).वर्तमान में कार्य कर रहे एलपीजी वितरक द्वारा कार्यक्षेत्र में नये कनेक्शन जारी करने की क्षमता और 2.)जिले में एलपीजी कवरेज की वर्तमान स्थिति, है। इस निर्देश के बिन्दु क्रमांक-6 में उल्लेख अनुसार राशि आपूर्ति के विभिन्न स्त्रोतो के आधार पर समग्र जिलेवार लक्ष्य को पुनः विभाजित किया गया है।

5. **एलपीजी विहीन और सीमित उपलब्धता वाले क्षेत्रो मे एलपीजी उपलब्धता बढ़ाने हेतु संस्थागत क्षमता का विकास करना -**

5.1 राज्य मे एलपीजी वितरक की संख्या में वृद्धि करना -

उपभोक्ताओ को गुणवत्तायुक्त सेवा सुनिश्चित करने और राज्य के सभी क्षेत्रो में कनेक्शन जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एलपीजी वितरको की संख्या में वृद्धि के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी -

1. दुर्गम क्षेत्र वितरक की नियुक्ति -

   दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लैम्पस/प्राथमिक कृषि साख समिति/संयुक्त वन प्रबंधन समिति/वन सुरक्षा समिति आदि, जैसा उचित हो, को संस्थागत एलपीजी वितरक नियुक्त करने हेतु राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा।

2. अर्द्धनगरीय तथा नियमित वितरक -

   अर्द्धनगरीय तथा नियमित वितरको की संख्या में वृद्धि करने हेतु राज्य शासन द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तावित किया जावेगा।

5.2 एलपीजी बॉटलिंग क्षमता में वृद्धि -

वर्तमान में राज्य में 3 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट हैं जिनकी वर्तमान क्षमता 231 टीएमटीपीए है। राज्य में उपयुक्त स्थानो पर अतिरिक्त बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य शासन द्वारा भेजा जावेगा।

5.3 वर्तमान एलपीजी वितरको द्वारा एलपीजी सुविधा केन्द्र स्थापित करना -

छत्तीसगढ में अधिकांश एलपीजी वितरक जिला एवं तहसील मुख्यालय में कार्यरत हैं। बेहतर ग्राहक सेवा हेतु ऑयल कंपनियो को परामर्श दिया जावेगा कि वे एलपीजी वितरक को उपभोक्ताओं के निकट स्थलो पर सुविधा केन्द्र खोलने हेतु निर्देशित करे।

6. **राशि की व्यवस्था -**

6.1 राशि के स्त्रोत -

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के राज्य घटक हेतु राशि की आपूर्ति प्राथमिक तौर पर निम्नलिखित योजनाओ की राशि के संयोजन से होगी-

1. जिला खनिज निधि (डीएमएफ)
2. कैम्पा निधि
3. संयुक्त वन प्रबंधन कोष (जेएफएम)
4. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि (बीओसी)

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हेतु राज्य के बजट से तथा राजस्व विभाग के पर्यावरण उपकर से भी राशि प्राप्त होगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सुसंगत योजनाओं के जरिये भी योजना हेतु राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

6.2 निधि का संकलन -

विभिन्न गैर बजटीय स्त्रोतो से प्राप्त निधि संचालक, खाद्य द्वारा संचालित सेविंग बैंक खाता मे संकलित की जावेगी। राज्य खाते में निधि के संकलन के उद्देश्य से इसका निम्नानुसार अंतरण किया जावेगा -

1. जिला खनिज निधि -

जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य अनुसार जिला खनिज निधि से निधि का अंतरण किया जावेगा।

2. कैम्पा -

वन-मंडलाधिकारी द्वारा जिले हेतु निर्धारित वित्तीय लक्ष्य अनुसार कैम्पा फण्ड से निधि अंतरित की जावेगी।

3. संयुक्त वन प्रबंधन कोष -

निधि के अंतरण की प्रक्रिया वन विभाग द्वारा संसूचित की जावेगी।

4. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि -

राज्य में बीओसी से वित्तीय लक्ष्य अनुसार निधि का अंतरण बीओसी निधि के सदस्य सचिव द्वारा किया जावेगा।

7. विभिन्न योजनाओं से प्राप्त निधि के उपयोग हेतु शर्तें-

1. जिला खनिज निधि -

जिला खनिज निधि का उपयोग जिले के किसी भी पात्र हितग्राही के लिए किया जा सकेगा।

2. कैम्पा फण्ड -

कैम्पा फण्ड का उपयोग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी पात्र हितग्राही के लिए किया जा सकेगा।

3. संयुक्त वन प्रबंधन कोष -

संयुक्त वन प्रबंधन कोष की राशि का उपयोग वन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा।

4. पर्यावरण उपकर -

पर्यावरण उपकर का उपयोग राज्य के किसी भी पात्र हितग्राही के लिए किया जा सकेगा।

5. योजना हेतु राज्य बजट -

इसका उपयोग राज्य के किसी भी पात्र हितग्राही के लिए किया जा सकेगा।

6. बीओसी फण्ड -

बीओसी निधि का उपयोग ऐसे पात्र हितग्राहियों , जो बीओसी बोर्ड में भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर के रूप में पंजीकृत है, के लिये किया जा सकेगा।

8. योजना लागू करने हेतु प्रक्रिया -

8.1 राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन -

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के राज्य घटक तथा योजना के राज्य मे संपूर्ण क्रियान्यवन हेतु नीतिगत निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा लिया जावेगा।

8.2 जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन -

जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति होगी, जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारी एवं नामांकित प्रतिनिधि होंगे, जिसके द्वारा कम से कम 03 माह में एक बार योजना के क्रियान्वयन की जिला स्तर पर समीक्षा की जावेगी।

जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन की समग्र निगरानी हेतु जिला स्तरीय निगरानी समिति का निम्नानुसार गठन किया जावेगा -

1. अध्यक्ष - जिले के प्रभारी मंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे

2. सदस्य -
   1. 07 निर्वाचित जनप्रतिनिधि (प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित)
   2. 03 गणमान्य नागरिक (प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित)
   3. ऑयल कंपनीयों के जिला प्रतिनिधि,
   4. खाद्य, वन, खनिज एवं श्रम विभाग के जिला अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नामांकित अन्य अधिकारी

3. समन्वयक - जिला कलेक्टर

8.3 जिला स्तरीय आयोजना एवं क्रियान्यवन समिति का गठन -

जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के आयोजन एवं क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का निम्नानुसार गठन किया जावेगा -

(क). कलेक्टर - अध्यक्ष

(ख) जिला खाद्य अधिकारी - सदस्य सचिव

(ग) वनमंडलाधिकारी

(घ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

(ड.) जिला खनिज अधिकारी

(च) जिला श्रम अधिकारी

(छ) जिला जनसंपर्क अधिकारी

(ज) ऑयल कंपनियो द्वारा नामांकित नोडल अधिकारी

(झ) जिला मे स्थित या जिले मे सेवा देने वाले समस्त एलपीजी वितरक

(ञ) जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अन्य कोई अधिकारी

इस समिति की माह में कम से कम एक बैठक होगी।

8.4 पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार करना -

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सुसंगत वंचक सूचकांको के आधार पर एसईसीसी - 2011 की सूची तैयार कर ऑयल कंपनियों को उपलब्ध करायी गई है तथा राज्य घटक के अनुदान की राशि के अंतरण हेतु राज्य द्वारा इस सूची का उपयोग किया जावेगा। यह सूची खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक मॉड्यूल में उपलब्ध होगी तथा इसकी प्रति प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकान तथा स्थानीय निकायों में प्रदर्शित की जावेगी। ऑयल कंपनी द्वारा नामांकित जिले के नोडल अधिकारियों के पास भी यह सूची उपलब्ध रहेगी।

8.5 हितग्राहियों की मैपिंग/टैगिंग -

चूंकि राज्य घटक के अंतर्गत राशि का व्यय विनिर्दिष्ट योजनाओ या निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के हितग्राहियो हेतु किया जाना है, अतः खाद्य संचालनालय द्वारा जारी यूजर मेनुअल के आधार पर हितग्राहियो की मैपिंग/टैगिंग का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। योजना मे सहभागी विभागो द्वारा राज्य स्तर से उनके जिला स्तर के अधिकारियो को यह कार्यवाही तेजी से पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी किया जावेगा।

8.6 आवेदन पत्रों की उपलब्धता -

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र सभी स्थानीय निकाय, शासकीय उचित मूल्य दुकान तथा एलपीजी वितरक स्तर पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जावेगा। इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ राज्य अनुदान हेतु, पार्ट-बी प्रपत्र भी उपलब्ध कराया जावेगा। आवेदक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ-साथ पार्ट-बी प्रपत्र, दोनो भरा जावेगा।

8.7 आवेदन पत्रों का प्रायोजन -

जिला कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा कि समस्त पात्र हितग्राहियो, सामान्य हितग्राहियो (पर्यावरण उपकर, राज्य बजट, जिला खनिज निधि/कैम्पा से वित्त पोषित) के साथ साथ विनिर्दिष्ट योजनाओ के हितग्राहियो (बीओसी, संयुक्त वन प्रबंधन समितिद्व से पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र भराया जावे। कलेक्टर द्वारा पात्र हितग्राहियो को आधार पंजीयन, बैंक खाता खोलने तथा बैंक खाता मे आधार नंबर के संयोजन हेतु सहायता सुनिश्चित की जावेगी।

8.8 आवेदन पत्र जमा करना -

सभी प्रकार से पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, राज्य घटक हेतु पार्ट-बी प्रपत्र सहित, एलपीजी वितरक के पास जमा कराया जावेगा, जिसके द्वारा आवश्यक जानकारी दर्ज कर इसे डि-डुप्लीकेशन हेतु ऑयल कंपनियो के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा।

8.9 आवेदन का डी-डुप्लीकेशन तथा अनुमोदन -

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एनआईसी मुख्यालय की सहायता से उपलब्ध डेटा का केंद्रीकृत रूप से डी-डुप्लिकेशन किया जावेगा तथा ऐसे हितग्राही जिनके पास एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, उनकी अनुमोदित सूची तैयार की जावेगी।

8.10 गैस कनेक्शन जारी करना -

पैरा 8.9 में उल्लेख अनुसार अनुमोदन के आधार पर एलपीजी वितरक द्वारा कनेक्शन जारी किया जावेगा तथा हितग्राही के नाम पर एक सब्सक्रिप्शन वाउचर

जारी किया जाएगा। ऑयल कंपनियों द्वारा यह सूची राज्य सरकार से साझा की जावेगी तथा इसे खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक मॉड्यूल में प्रदर्शित किया जावेगा तथा यह जिला कलेक्टर द्वारा की जाने वाली समीक्षा हेतु उपलब्ध होगा।

8.11 कनेक्शन के वितरण हेतु मेला -

जिला कलेक्टर के निदशानुसार विभिन्न स्थलों में मेला का आयोजन कर हितग्राही को कनेक्शन जारी किया जावेगा। यह कार्यवाही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में की जावेगी। इस कार्यक्रम का प्रारंभ योजना के महत्व तथा सुरक्षा के मानको संबंधी फिल्म के प्रदर्शन के साथ किया जावेगा। हितग्राहियों को कनेक्शन प्रदाय करते समय एक फोल्डर में मानक किट दिया जावेगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सन्देश, सब्सक्रिप्शन वाउचर, डीजीसीसी बुक, सुरक्षा निर्देश संबंधी लेमिनेटेड कार्ड एवं हितग्राही के 200 रूपए अंशदान का कैश मेमो, बीमा कार्ड शामिल होगा। इस मेले में गैस चूल्हा वितरण किए जाने की स्थिति में उज्जवला योजना का प्रतीक चिन्ह इसके बाक्स में चिपकाया जाना/प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। ऑयल कंपनी के अधिकारी/एलपीजी वितरण द्वारा एलपीजी के सुरक्षित उपयोग का प्रदर्शन किया जावे तथा कैम्प में महिला हितग्राहियों के लिए सैफ्टी क्लिनिक का संचालन भी किया जा सकता है।

8.12 गैस कनेक्शन स्थापित करना -

हितग्राहियों को शिविर/कैम्प में गैस कनेक्शन वितरण के बाद हितग्राही के घर या परिसर में सिलेण्डर, गैस चूल्हा तथा उपकरण स्थापित किया जावेगा। ऑयल कंपनी/गैस वितरक द्वारा गैस कनेक्शन जारी होने के अधिकतम 10 दिवस के भीतर गैस कनेक्शन स्थापित कर दिया जावेगा।

8.13 गैस चूल्हा तथा प्रथम रिफिल की राशि का वितरकों द्वारा क्लेम -

एलपीजी कनेक्शन की स्थापना के उपरांत एलपीजी वितरकों द्वारा ऑयल कंपनियों के माध्यम से राज्य अनुदान का दावा प्रस्तुत किया जावेगा। राज्य की एनआईसी इकाई द्वारा संचालक खाद्य के राज्य स्तरीय खाते से, केन्द्रीकृत रूप से प्राप्त दावों के परीक्षण एवं भुगतान हेतु वेब सर्विस तैयार की गई है। अनुदान की राशि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के जरिए तीनो ऑयल कंपनियों को जारी की जावेगी। ऑयल कंपनियों के माध्यम से राज्य अनुदान की राशि एलपीजी वितरकों को भुगतान की जावेगी।

8.14 राज्य अनुदान जारी होना -

एनआईसी की राज्य इकाई द्वारा वेब पर आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए ऑयल कंपनियों द्वारा अपने दावे प्रस्तुत किए जावेंगे। संचालक खाद्य द्वारा इन दावों का परीक्षण कर दो कार्य दिवसों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा।

8.15 उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना -

1. खनिज, वन तथा श्रम विभाग (जिला कलेक्टर/वन मंडलाधिकारी के माध्यम से) द्वारा उनके हितग्राहियों, निधि की उपलब्धता तथा निधि के उपयोग हेतु भौगोलिक क्षेत्र की मैपिंग एसईसीसी डेटाबेस से किया जावेगा। वेब एप्लिकेशन में ऐसे समस्त हितग्राही जिन्हें कनेक्शन जारी किया जा रहा है, उसकी समस्त जानकारी उपलब्ध होगी तथा एक संगणना के जरिए हितग्राही को उपलब्ध निधियों में से किस सर्वाधिक उपयुक्त निधि स्रोत से ऑयल कंपनियों को राशि जारी किया जाना है, का निर्धारण किया जावेगा। इसके आधार परप्रत्येक जिले तथा प्रत्येक उपलब्ध निधि के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर संबंधित विभागों को प्रस्तुत किया जावेगा।

2. जिला कलेक्टर/जिला वनमंडलाधिकारी/बीओसी बोर्ड के सचिव द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने उपरांत वेबपेज पर प्रदर्शित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के हितग्राहियों की सूची की जांच किया जावेगा तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि योजना अनुसार ही बीओसी/जेएफएम/डीएमएफ/कैम्पा के पात्र हितग्राहियों के लिये राशि व्यय की गयी है। हितग्राही चिन्हांकन में त्रुटि/अनियमितता पाये जाने पर 15 दिवस के भीतर राज्य शासन/संचालक खाद्य को अवगत कराया जावेगा। निर्धारित समय-सीमा में सूचना प्राप्त नहीं होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र सही माना जावेगा।

   प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत फण्ड के उपयोग तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रक्रिया को सरलीकृत किया जावेगा।

   राशि प्राप्त करने, उपयोग करने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा की जावेगी तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकेगा।

8.16 खाद्य संचालनालय में योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट -

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन , मॉनिटरिंग से संबंधित दैनिक कार्यो के संचालन हेतु खाद्य संचालनालय स्तर पर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट होगा।

9. एलपीजी के उपयोग एवं सुरक्षा हेतु प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियां-

9.1 एलपीजी के उपयोग एवं सुरक्षात्मक उपाय के संबंध में ऑयल कंपनी द्वारा प्रिंट, रेडियो एवं इलेक्ट्रानिक/डिजीटल मीडिया के माध्यम से पर्याप्त प्रचार-प्रसार हेतु नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन किया जावेगा।

9.2 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के हितग्राहियों को एलपीजी गैस सुरक्षित तरीके से उपयोग हेतु आवश्यक सचित्र निर्देश लेमिनेटेड सुरक्षा कार्ड के रूप में उपलब्ध कराया जावेगा।

9.3 हितग्राहियों के घर पर गैस कनेक्शन लगाने के दौरान गैस वितरक द्वारा उपभोक्ताओं को इसके प्रशिक्षण के साथ-साथ एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के संबंध में अवगत कराया जावेगा।

9.4 प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम या वार्ड स्तर पर एलपीजी का उपयोग करने वाले व्यक्ति, या संस्था, यथा - स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र या अन्य कार्यकर्ता जैसे-मितानिन, पंचायत सचिव, स्व-सहायता समूह के सदस्यों को मास्टर ट्रेनर के रूप में ऑयल कंपनी द्वारा प्रशिक्षण दिया जावेगा, ताकि वे ग्राम के नवीन एलपीजीधारक को सुरक्षित परिवहन, गैस सिलेण्डर लगाने या परिवर्तित करने तथा उपयोग करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं जानकारी दे सकें। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला कलेक्टरों के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में किया जायेगा ताकि घरेलू एलपीजी का पहली बार उपयोग करने वाले हितग्राहियों को सुरक्षा के संबंध में सहायता एवं परामर्श देने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवक उपलब्ध हो सके।

9.5 प्रत्येक गांव में मॉडल किचन के रूप में कुछ किचन चिन्हांकित किये जावेंगे। ऐसे मॉडल किचन आंगनबाड़ी केन्द्रों/विद्यालय या सहमति के साथ महिला स्व-सहायता समूहों के घर में हो सकते है। इन मॉडल किचन का उद्देश्य हितग्राहियों को गैस स्टोव, सिलेण्डर लगाने की प्रक्रिया, उपयोग करने की प्रक्रिया एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय का सजीव प्रदर्शन किया जाना है।

9.6 जिलों में कला जत्थों को एलपीजी के स्वच्छ एवं सुरक्षित ईंधन होने तथा इसके सुरक्षित घरेलू उपयोग के सम्बन्ध में प्रचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जावे |

9.7 IEC प्रचारों के अंतर्गत रिफिल सिलिंडर बुक करने तथा एलपीजी सब्सिडी की तरह हितग्राहियों के खातों में अंतरित होगी की जानकारी का समावेश भी किया जाये |

10. निगरानी एवं पर्यवेक्षण -

10.1 राज्य एवं जिला स्तरीय समिति -

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति तथा जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा क्रमशः राज्य एवं जिला स्तर पर योजना की निगरानी एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जावेगा।

10.2 कॉल सेंटर -

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु खाद्य विभाग के राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर के माध्यम से 1 प्रतिशत हितग्राहियों को कॉल करके योजना अंतर्गत स्टोव तथा सिलेण्डर की प्राप्ति एवं कनेक्शन की स्थापना होने की पुष्टि की जावेगी।

10.3 भौतिक सत्यापन -

जिला कलेक्टर द्वारा पंचायतों /शासकीय अधिकारियों /कर्मचारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के हितग्राहियों को योजना अंतर्गत स्थापित गैस कनेक्शन की पुष्टि के लिये भौतिक सत्यापन कराया जावेगा।

11. पारदर्शिता तथा सामाजिक अंकेक्षण -

11.1 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के राज्य घटक हेतु वेबपेज -

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के राज्य घटक की जानकारी हेतु पृथक वेबसाईट http://khadya.cg.nic.in/pdsonline/pmuy/ होगी, जिसका लिंक खाद्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में उपलब्ध होगा। इस वेबपेज पर योजना से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत, डबल बर्नर गैस स्टोव के मानक, जिलेवार प्राप्त आवेदनों की स्थिति, तथा गैस कनेक्शन के अनुमोदन जारी होने एवं वितरण की स्थिति, हितग्राहियों की सूची तथा शिकायत निवारण एवं सुरक्षा संबंधी प्रश्नों की जानकारी हेतु कॉल सेंटर का नंबर प्रदर्शित होगा।

11.2 एसएमएस के जरिये हितग्राहियों को कनेक्शन जारी होने की सूचना -

हितग्राही के घर में गैस कनेक्शन स्थापित होने की जानकारी ऑयल कंपनियों से प्राप्त होने के तत्पश्चात उनके पंजीकृत मोबाईल नंबर पर इसकी सूचना एसएमएस के जरिये दी जायेगी। इस एसएमएस के जरिये हितग्राही के घर में कनेक्शन की स्थापना की जानकारी दी जायेगी। इस मेसेज में शिकायत दर्ज कराने हेतु कॉल सेंटर के नंबर के साथ-साथ सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु पृथक नंबर (1906) का उल्लेख होगा।

11.3 ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण -

कलेक्टर द्वारा इस योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जावेगी तथा ग्राम सभा में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के हितग्राहियों की सूची पढ़कर सुनायी जावेगी।

12. सहभागियों के कार्य एवं दायित्व-

12.1 खनिज विभाग -

विभाग द्वारा कलेक्टर्स एवं जिला स्तरीय खनिज विभाग के अधिकारियों को योजना के लिए जिला खनिज निधि का उपयोग, जिला खनिज निधि के उपयोग हेतु संपूर्ण जिले की मैपिंग, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खनन से प्रभावित हितग्राहियों से आवेदन पत्र प्रायोजित कराना तथा जिला खनिज निधि से राज्य स्तरीय खाते में राशि का अंतरण आदि के संबंध में समुचित निर्देश जारी किए जायेंगे ।

12.2 वन विभाग -

कैम्पा/संयुक्त वन प्रबंधन कोष से योजना हेतु राशि के उपयोग तथा मैपिंग का कार्य एनआईसी द्वारा तैयार किये गये वेब एप्लीकेशन में किये जाने हेतु वनमंडलाधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी किया जावेगा। संयुक्त वन प्रबंधन कोष के उपयोग हेतु संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों की मैपिंग, पात्र हितग्राहियों से आवेदन पत्रों का प्रायोजन, राज्य स्तरीय खाते में कैम्पा/संयुक्त वन प्रबंधन कोष से राशि के अंतरण हेतु आवश्यक निर्देश जारी किया जावेगा।

12.3 श्रम विभाग -

योजना हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि से राशि के उपयोग, विभागीय हितग्राहियों की एसईसीसी डेटाबेस में मैपिंग, विभागीय हितग्राहियों से

आवेदन पत्रों का प्रायोजन, राज्य स्तरीय खाते में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि से राशि के अंतरण हेतु कलेक्टर्स एवं जिला श्रम अधिकारियों को आदेश जारी किया जायेगा

12.4 खाद्य विभाग -

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत शासन, ऑयल कंपनी, एनआईसी एवं योजना में सहभागी विभागों से राज्य स्तर पर समन्वय कर राज्य में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से संबंधित समस्त कार्यो के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

12.5 जिला कलेक्टर -

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार करने, योजना लागू करने तथा नियमित मॉनिटरिंग का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा, जैसे -

1. एनआईसी द्वारा तैयार किये गये वेब एप्लीकेशन में वन, खनिज तथा श्रम विभाग के हितग्राहियों की मैपिंग, निधि के उपयोग हेतु भौगोलिक क्षेत्र का चिन्हांकन तथा निधि में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

2. योजना हेतु राज्य स्तरीय खाते में जिला खनिज निधि से राशि का अंतरण करना।

3. योजना हेतु जिले के वनमंडलाधिकारियों द्वारा राशि का अंतरण करना।

4. विभिन्न विभाग के हितग्राहियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्रायोजित कराना एवं इनका त्वरित परीक्षण कराकर वितरकों के जरिये डि-डुप्लीकेशन हेतु अपलोड कराना।

5. समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों/स्थानीय निकायों/गैस एजेंसियों के पास पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र की उपलब्ध्ता सुनिश्चित कराना।

6. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई SECC-2011 सूची में वंचन सूचकांक अनुसार सूची, सभी स्थानीय निकायों में उपलब्ध कराना। यह सूची खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक मॉड्यूल में उपलब्ध कराई गयी है।

7. पात्र हितग्राहियों का आधार पंजीयन तथा बैंक खाता खोलने (आधार लिंकेज के साथ) हेतु सुविधा उपलब्ध कराना।

8. डि-डुप्लीकेशन तथा गैस कनेक्शन जारी करने के लिये गैस एजेसियों में आवेदन पत्रों का विवरण शीघ्रता से अपलोड कराना।

9. योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन के लिये अनुमोदित सूची में से जिले में विभिन्न विभागों हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्ध निधि (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि/ संयुक्त वन प्रबंधन कोष) के अनुसार हितग्राही अनुमोदित हुए है अथवा नहीं, की समीक्षा करना।

10. योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन वितरण हेतु उपयुक्त स्थलों पर शिविर का आयोजन।

11. योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन जारी/वितरण होने के 10 दिवस के भीतर कनेक्शन की स्थापना सुनिश्चित कराना।

12. वितरकों के जरिये समय-सीमा में सिलेण्डर हेतु रिफिल सेवा सुनिश्चित कराना।

13. जिला स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक का नियमित आयोजन करना।

14. एलपीजी के उपयोग को सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में किये जाने का सन्देश देने कला जत्थों को तैयार करना |

15. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के हितग्राहियों को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के प्रशिक्षण हेतु विकासखण्ड/ग्राम स्तर पर प्रशिक्षकों (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/महिला स्व-सहायता समूह के सदस्य/पंचायत सचिव आदि) का नेटवर्क स्थापित करना। साथ ही उन्हें इस बात का प्रशिक्षण दिया जाये कि वे हितग्राहियों को घरेलू एलपीजी के उपयोग से होने वाले फायदों के सम्बन्ध में बता सकें एवं पारंपरिक ईंधन के स्रोतों जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला, बायोमास के स्थान पर एलपीजी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर सकें |

16. एलपीजी के सुरक्षित उपयोग हेतु प्रशिक्षण एवं पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराना।

17. ग्राम/वार्ड में मॉडल किचन स्थापित करना तथा मॉडल किचन के माध्यम से हितग्राहियों को गैस स्टोव, सिलेण्डर लगाने की प्रक्रिया तथा एलपीजी उपयोग करने के सुरक्षात्मक उपाय का हितग्राहियों के समक्ष में प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना।

18. योजना का ग्रामसभा के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण कराना।

12.6 वनमंडलाधिकारी -

वनमंडलाधिकारी द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के हितग्राहियों की मैपिंग तथा समिति के कोष से योजना हेतु उपलब्ध राशि की जानकारी एनआईसी द्वारा तैयार किये गये वेब एप्लीकेशन में दर्ज की जावेगी। संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा समुचित संख्या में आवदेन पत्र जमा हो, यह भी इनके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्थानीय एलपीजी वितरकों से समन्वय कर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के आवेदन पत्रों के परीक्षण / डि-डुप्लीकेशन तथा अनुमोदन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। वेब एप्लीकेशन में कैम्पा निधि के उपयोग हेतु जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्र की मैपिंग की कार्यवाही वनमंडलाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा योजना के राज्य स्तरीय खाते में कैम्पा एवं संयुक्त वन प्रबंधन कोष से राशि अंतरित की जावेगी। जिले में कैम्पा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को वितरित कनेक्शन की निगरानी के साथ-साथ समय-समय पर जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यो का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

13. एलपीजी के उपयोग की निरंतरता बनाये रखने की व्यवस्था

1. तेल विपणन कम्पनियाँ वितरकों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगी कि सिलिंडर रिफिल की सेवा निर्बाध एवं निरंतर बनी रहे |

2. स्व-सहायता समूहों / संयुक्त देयता समूहों को उनके सदस्यों के द्वितीय एवं उसके बाद रिफिल कराने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए , ताकि यदि आवश्यकता हो, तो रिफिल सिलिंडरों के लिए धन की कमी निरंतर एलपीजी उपयोग के लिए बाधक न बने |

14. सुरक्षित संस्थापन

1. एलपीजी कनेक्शनो के सुरक्षित संस्थापन के लिए एलपीजी वितरक कुशल मैकेनिक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे |

2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी उपयोगकर्ताओं को संस्थापन सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टर महिला मैकेनिकों के दस्ते तैयार करने का प्रयास करेंगे ।

3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कुशल मैकेनिक तैयार करने तेल विपणन कम्पनियाँ प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करेंगी एवं राज्य कौशल विकास मिशन से समन्वय स्थापित कर इस पाठ्यक्रम को विभिन्न जिलों में चलाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी । ऐसे पाठ्यक्रमों के आवश्यक सर्टिफिकेटधारी महिलाओं को एलपीजी वितरकों द्वारा नियुक्त किया जाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले कनेक्शनों के साथ-साथ सामान्य कनेक्शनो के संस्थापन का कार्य लिया जा सकता है ।

15. योजना के क्रियान्वयन में ऑयल कंपनी की सहभागिता -

तेल विपणन कंपनीयों द्वारा -

1) राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर्स को पात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराई जावेगी। ऑयल कंपनियों द्वारा अनुमोदित हितग्राहियों का विवरण एनआईसी द्वारा इस कार्य हेतु तैयार की गई वेब सर्विस के जरिये खाद्य विभाग के सर्वर में प्रतिदिन शाम तक उपलब्ध कराई जावेगी।

2) हितग्राहियों के घर में कनेक्शन एवं गैस स्टोव की स्थापना के बाद इनकी जानकारी प्रतिदिन खाद्य विभाग के सर्वर में भेजी जावेगी।

3) राज्य शासन को सब्सिडी क्लेम प्रस्तुत करने के पूर्व वितरकों द्वारा संस्थापित कनेक्शनों के सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाई जाएगी ।

4) वेब सर्विस का त्वरित एवं नियमित उपयोग कर ऑयल कंपनियों की वेबसाईट में उपलब्ध डेटा तथा खाद्य विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध डेटा के अंतर को न्यूनतम रखा जावेगा।

5) योजना के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति तथा इनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।

6) एलपीजी के सुरक्षित उपयोग हेतु योजना तथा राज्य स्तरीय प्रचार अभियान संचालित करना।

7) एलपीजी वितरकों द्वारा प्रदाय किये गये गैस स्टोव की गुणवत्ता, गैस कनेक्शन की स्थापना आदि की मॉनिटरिंग करना।

8) राज्य में एलपीजी वितरकों की संख्या तथा बॉटलिंग क्षमता में वृद्धि करना तथा एलपीजी वितरकों के जरिये सुविधा केन्द्र खोलना।

9) योजना के हितग्राहियों के बैंक खातों में एलपीजी का अनुदान प्रदाय करने के साथ-साथ प्रथम रिफिल के उपरांत बाद की रिफिल सेवा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, बनाये रखने हेतु सेवा के उच्च गुणवत्ता को बनाये रखना।

10) सभी वितरकों के अधीन पर्याप्त संख्या में मैकेनिक रखने एवं सभी कनेक्शन प्रशिक्षित मैकेनिकों द्वारा स्थापित किया जाना सुनिश्चित करेंगी।

11) जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं निगरानी में मेला के जरिये योजना के हितग्राहियों को गैस कनेक्शनों का वितरण कराना।

12) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मैकेनिकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल का विकास कर राज्य कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी।

13) योजना के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली समस्याओं का कलेक्टर एवं खाद्य विभाग से समुचित समन्वय कर तेजी से निराकरण करना।

Manoj
15/09/16

परिशिष्ट – 1

P-17018/1/2016-LPG
Government of India
Ministry of Petroleum & Natural Gas
....

Shastri Bhawan, New Delhi
31st March 2016

To

The Director General, PPAC, New Delhi
The Chairman, IOC, New Delhi
The C&MD, BPCL/ HPCL, Mumbai

Subject : **Pradhan Mantri Ujjwala Yojana – Scheme Guidelines**

Madam/ Sir,

I am directed to enclose herewith the Scheme Guidelines for providing free LPG connections by OMCs to Women belonging to the Below Poverty Line (BPL) households under `Pradhan Mantri Ujjwala Yojana' (PMUY), for information and necessary action.

2. This issues with the approval of the Hon'ble MoS(I/C), PNG

Yours faithfully,

31/3/2016

Encl: As above

(K.M. Mahesh)
Deputy Secretary (LPG)
Tel. No. 011-23387404
E-mail: mahesh.png@gov.in

Copy to :
1) Adviser (IFD), MOP&NG
2) Director (S&P), MOP&NG

Copy also to: Director (Mkt), IOC/BPCL/HPCL, Mumbai

606

"Pradhan Mantri Ujjwala Yojana"

Scheme for Release of Free connections to BPL Women

1. Short title

The Scheme for providing free LPG connections by Oil Marketing Companies (OMCs) to the women belonging to the Below Poverty Line (BPL) households shall be called Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. The Scheme will cover 5 crore BPL households over a period of three years.

2. Commencement

The PMUY scheme will come into force from 1st April, 2016.

3. Objective

Availability of clean cooking fuel is a major challenge for rural poor households in the country. Lack of access to clean fuel is adversely affecting the health of particularly women and children in the households using unclean fuel. Government is committed to providing clean fuel to all poor households. Therefore, the Union Budget 2016-17 allocated Rs. 2000 crore to provide free LPG connections to 1.5 crore women belonging to the below power line (BPL) families during the year 2016-17.

4. Definitions

(a) BPL is a person/ household who suffers from at least one deprivation under the SECC - 2011 (Rural) Database. For identifying urban poor, separate instructions would be issued;

(b) Release of LPG connection : LPG connection under this Scheme shall be released in the name of the women belonging to the BPL family;

607

(c) Cash Assistance - This will cover the initial cost of Rs. 1600/- for providing a connection and this cash assistance would be provided by the Government for each new LPG connection;

(d) SECC – refers to the Socio-Economic Caste census exercise initiated in the year 2011. This exercise was undertaken in a transparent manner by the State Governments and the Ministry of Rural Development, before the SECC database was finalized.

5. Selection of Beneficiaries

While the selection of beneficiaries would be from the BPL families only, preference would be given to SC/ ST and weaker sections of society. While providing the new connections to BPL households, priority would be given to the States which have lower LPG coverage (compared to the national average) as on 1st Jan, 2016.

6. Implementation Modalities of the Scheme would be as follows:-

- A woman of the BPL household, which does not have access to LPG connection at the start of the new Scheme, may apply for a new LPG connection (in the prescribed format) to the LPG distributor. While submitting the application form, the woman will submit details, like Address, Jandhan/ Bank Account and Aadhar number (if the Aadhar number is not available, steps would be taken in coordination with UIDAI for issue of Aadhar number to the woman of BPL household), ;
- The LPG Field officials will match the application against SECC – 2011 database and, after ascertaining their BPL status, enter the details (name,

address etc) into a dedicated OMC Web portal through a login/ password given by the OMCs;

- OMCs will undertake electronically the de-duplication exercise and other measures for due diligence for a new LPG connection;
- The connection shall be issued by the OMC to the eligible beneficiaries (after completion of various stages above). While the connection charges would be borne by the Government, the OMCs would provide an option for the new consumer to opt for EMIs, if he so desires, to cover the cost of a cooking stove and first refill. The EMI amount may be recovered by the OMCs from the subsidy amount due to the consumer on each refill;
- In case the State Government or a voluntary organization or an individual wishes to contribute the cost of a stove and/or first refill, they would be free to do so in coordination with the OMCs. However, this would be under the overall umbrella of PMUY and no other Scheme name/ tagline would be allowed without express approval of the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MOP&NG);
- OMCs will also organize `Melas 'at various locations for release of connections to BPL families. This will be done in the presence of public representatives and distinguished personalities of the area;
- The scheme will cover BPL families under all forms of distributorship and for various sizes of cylinders (like 14.2 kg, 5 kg, etc.) depending on the field situation.

7. Expenditure

In addition to the expenditure on giving a new connection, the Scheme will have provision for 1% IEC expenses and 1% Project

Management Expenses (which includes the cost of administration, evaluation, technology support, etc.)

8. Modalities for settling claims under the PMUY Scheme by OMCs

OMCs will release the connection to women of BPL families after completing the procedure detailed above. OMCs shall submit their claims for the connections released from 1.4.2016. The claims shall be lodged on quarterly basis. The claim will be submitted to PPAC within 10 days of the end of that quarter. PPAC will scrutinize and forward the claims to MOP&NG, which will in turn reimburse the claims of OMCs.

9. Audit and verification of claims

a) All the claims submitted by OMCs shall be duly audited and be accompanied with audit certificate.

b) PPAC will scrutinize the claims of the OMCs from their books of account and can cross check claims from accounts maintained and for this purpose may call for any related information or visit and examine records maintained by OMCs at site, plant office, regional office, head office etc.

c) The Government may also undertake third party audit of the Scheme.

10. Dispute Resolution

Any dispute with regard to interpretation of any provision of the Scheme will be referred to MOP&NG and the decision of the Ministry shall be final and binding on all.

11. Miscellaneous

MOP&NG shall have the power to issue clarifications or directions for smooth implementation of the scheme.

परिशिष्ट-2

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: इंडियन ऑयल भवन,
जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051

Indian Oil Corporation Limited,
Registered Office: Indian Oil Bhavan,
G-9, Ali Yavar Jung Marg, Bandra (E), Mumbai – 400051
Ph: 022-2644 7000

IndianOil
A Maharatna Company

विपणन प्रभाग

Marketing Division

Ref No : HO/LPG-Str/PMUY
Date : 15.07.2016

To

Dy. Secretary(LPG)
Government of India
Ministry of Petroleum & Natural Gas
Shastri Bhawan, New Delhi

Kind Attn : Shri K.M. Mahesh

Sub: Regarding Specifications & MRP of 2 burner LPG Stove Eco Model under PMUY.

Dear Sir,

You may kindly be informed that BIS approved economy model 2 Burner LPG stove under PMUY Scheme has been developed and marketed by various LPG Stove vendors through OMC distributors network. The specifications & MRP of the same are as under:

Sr No	Details	SPECIFICATIONS
1	No. of Burners	2
2	Minimum Body Size (in mm)	550 X 280 X 60
3	Stove Body Thickness	0.5 mm
4	Weight of Pan Support(Powder Coated)	225 g
5	Gas Pipe	16 gauge MS Pipe
6	Weight of Gas Cock	80 gms
7	Weight of Mixing Tube(Set)	230 gms
8	Weight of Burner Tops (cast iron)	240g (For the set)
9	Height of Leg Bush	40 mm
10	Gas Knob	Bakelite
11	Maximum Retail Price including all taxes and levies	Rs 990.00

Thanking you.

Yours faithfully,
For Indian Oil Corporation Ltd
15.7.2016

(Tapash Gupta)
GM (LPG-Strategies),HO

अनुमानित वार्षिक लक्ष्य वर्ष 2016-17

S.no.	DISTRICT	TARGET for FY 2016-17	Amount required in FY 2016-17 (In Crore Rupees) (@Rs. 1395 per connection)	Scheme Name for Funding					
				BOC		CAMPA		DMF/Budget	
				Physical	Financial (in Lakh Rs)	Physical	Financial (in Lakh Rs)	Physical	Financial (in Lakh Rs)
1	BALOD	44625	6.23	6555	91.44196	0	0.00	38070	531.08
2	BALODABAZAR	52500	7.32	15269	213.00779	0	0.00	37231	519.37
3	BALRAMPUR	17325	2.42	1515	21.13424	15810	220.55	0	0.00
4	BASTAR	18900	2.64	1441	20.10503	17459	243.55	0	0.00
5	BEMETARA	29925	4.17	5717	79.75395	0	0.00	24208	337.70
6	BIJAPUR	7245	1.01	288	4.02325	6957	97.05	0	0.00
7	BILASPUR	68250	9.52	14476	201.94104	0	0.00	53774	750.15
8	DANTEWADA	16275	2.27	2126	29.65979	4896	68.30	9253	129.08
9	DHAMTARI	40950	5.71	5365	74.84745	0	0.00	35585	496.41
10	DURG	50000	6.98	9378	130.81743	0	0.00	40622	566.68
11	GARIYABAND	26250	3.66	2794	38.98250	0	0.00	23456	327.21
12	JANJGIR	81375	11.35	8792	122.64743	0	0.00	72583	1012.53
13	JASHPUR	47250	6.59	856	11.94625	30442	424.67	15952	222.53
14	KANKER	39900	5.57	2157	30.08644	34098	475.67	3645	50.85
15	KAWARDHA	28350	3.95	3805	53.07698	0	0.00	24545	342.40
16	KONDAGAON	19425	2.71	798	11.13412	18627	259.85	0	0.00
17	KORBA	29400	4.10	5441	75.89911	0	0.00	23959	334.23
18	KORIYA	28350	3.95	3071	42.84108	25279	352.64	0	0.00
19	MAHASAMUND	42000	5.86	14207	198.18725	0	0.00	27793	387.71
20	MUNGELI	22150	3.09	874	12.18952	0	0.00	21276	296.80
21	NARAYANPUR	11655	1.63	426	5.94693	6068	84.65	5161	72.00
22	RAIGARH	73000	10.18	8054	112.35164	0	0.00	64946	906.00
23	RAIPUR	50000	6.98	26610	371.20579	0	0.00	23390	326.29
24	RAJNANDGAON	73000	10.18	27291	380.71564	0	0.00	45709	637.64
25	SUKMA	13125	1.83	197	2.75078	12720	177.44	208	2.90
26	SURAJPPUR	24675	3.44	7544	105.24078	17131	238.98	0	0.00
27	SURGUJA	44100	6.15	4162	58.06582	39123	545.77	815	11.37
Total		**1000000**	**139.50**	**179209**	**2500.00000**	**228610**	**3189.11**	**592181**	**8260.92**